



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230612
CG-DL-E-22102021-230612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4034]
No. 4034]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 21, 2021/ आश्विन 29, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ ASVINA 29, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 4385(अ).—जबकि, भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पी पी सी एल – वंजोर सिलिकेट पाइप लाइन- रिरूट- 36, कीज्हाइयर साउथ ग्राम, कराईकल तालुक & जिला के केंद्र शासित प्रदेश पोडुचेरी में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का आयोजन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी गेल (इंडिया) लिमिटेड, कावेरी बेसिन, प्रथम एवम द्वितीय तल, ए एच एम कॉम्प्लेक्स, नंबर - 164, कमरजआर सलाई, जिला कराईकल केंद्र शासित प्रदेश पोडुचेरी को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

पीपीसीएल- वांजूर सिलिकेट पाइपलाइन -रीरूट -गैस पाइपलाइन परियोजना

राज्य	जिला	तालूक	गांव संख्या और नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल		
					हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	7	8	9
पांडिचेरी	कारैक्काल	कारैक्काल	36, कीजैयुर साउथ	75-1	0	1	00
				75-4	0	2	00
				81-3	0	13	00
कुल क्षेत्रफल						16	00

[फा. सं. एल-14014/87/2021-जीपी-II (ई-39381)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 4385(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Gas from PPCL-VANJORE SILICATE P/L - REROUTE - 36, Keezhaiyur South Village, Karaikal Taluk & District in the Union Territory of Pondicherry, Pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited.

AND WHEREAS it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the schedule annexed to this notification.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may within 21 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Limited, Cauvery Basin, 1st & 2nd Floor, AHM Complex, No.164, Kamarajar Salai, Karaikal District, Pondicherry U.T.

SCHEDULE

PPCL- VANJORE SILICATE P/L - REROUTE - GAS PIPELINE PROJECT

STATE	DISTRICT	TALUK	VILLAGE NO. & NAME	SURVEY NUMBER	Area		
					Hect.	Are	Sq.Mt
1	2	3	4	5	6	7	8
Pondi cherry	Karaikal	Karaikal	36, Keezhaiyur South	75-1	0	1	00
				75-4	0	2	00
				81-3	0	13	00
				Total Area		16	00

[F. No. L-14014/87/2021-GP-II (E-39381)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.